न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 9/2022(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/31

अनवान्

1. श्री भगवतीलाल पिता स्व श्री शंकरलाल जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजमल पिता स्व श्री शंकरलाल जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती चम्पाबाई पुत्री स्व श्री शंकरलाल जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती हीराबाई पत्नी स्व श्री शंकरलाल जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री मनोहरलाल पिता श्री वरजीलाल जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री रमेशचन्द्र पिता गंगाराम जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री भीमलाल पिता गंगाराम जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
8. श्रीमती मीना पिता गंगाराम जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्रीमती पारीबाई पत्नी श्री प्यारचन्द जी ब्राह्मण निवासी वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री पटवारी, वांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री पन्ना लाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थी।
2 श्री हुक्मीचंद सांगावत, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः—11.07.2024

1. प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कियह कि मौजा वासंडा पटवार हल्का वासंडा भू–अभिलेख निरीक्षक वासंडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की खसरा संख्या 331 रकबा 0.22 है., 332 रकबा 0.23 है. कुल किता 2 रकबा 0.45 अंकित स्थित हैं जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्या 5 स्वयं, संख्या 6 से पिता श्री गंगाराम एवं 9 के पिता श्री प्यारचन्द के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है। इसी प्रकार ग्राम वासंडा में ही आराजी संख्या 333 किता 1 रकबा 0.31 है. स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्या 4 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हैं। आराजी संख्या 331 एवं 332 का साविक सेटलमेंट खसरा संख्या 480 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था, इसी प्रकार आराजी न. 333 का साविक सेटलमेंट में खसरा न. 481 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा था। सेटलमेंट के पूर्व ग्राम वासंडा में मेवाड सेटलमेंट में उक्त आराजी संख्या 480 का पुराना न. 306 एवं आराजी संख्या 481 का पुराना आराजी न. 307 था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:21:04 IST
Reason: SelfAttested

मेवाड सेटलमेंट सम्वत 1984 में ततसमय के आराजी संख्या 306 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा होकर ततसमय प्रार्थी संख्या 5 मनोहरलाल, प्रार्थी संख्या 6 से 8 के पिता गंगाराम, प्रार्थी संख्या 9 के पति प्यारचन्द पिता श्री बरजीलाल ब्राह्मण के नाम अंकित था। मेवाड सेटलमेंट में ततसमय के आराजी संख्या 307 का रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा होकर ततसमय चतरभुज वल्द लखमीचन्द व्यास मेनारिया ब्राह्मण साकिन देह के नाम अंकित था। मेवाड सेटलमेंट के पश्चात चतरभुज के जीवनकाल में ही सम्वत् 2011 में जो सेटलमेंट हुआ उस समय मेवाड सेटलमेंट के आराजी न. 307 के नये नम्बर 481 एवं 482 कायम कर दिये गये। मेवाड सेटलमेंट के आराजी संख्या 307 के पूर्व दिशा में कोई रास्ता न तो मौके पर था, न ही नक्शा ट्रेस में दर्ज था फिर भी बिना किसी कारण के सम्वत् 2011 के सेटलमेंट में साबिक आराजी न. 307 के नवीन रकबा 3 बिस्वा घटाकर 1 बीघा 8 बिस्वा कर दिया गया तथा आराजी न. 307 का शेष रकबा 3 बिस्वा में से 2 बिस्वा आराजी न. 482 किस्म रास्ता एवं आराजी नम्बर 486 रकबा 1 बिस्वा किस्म रास्ता अंकित कर दिया गया।

2. यह कि विदित रहें कि मेवाड सेटलमेंट में जरीब का नाम 152.5 फीट था तथा सम्वत् 2011 के सेटलमेंट में जरीब का नाम 152.5 फीट था। इस कारण नवीन आराजी नम्बर 481 का रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा अंकित होना चाहिए था किन्तु बिना किसी कारण के ही खातेदार चतरभुज पिता लखमीचन्द ब्राह्मण की 3 बिस्वा भूमि को नवीन आराजी न. 482 एवं 486 के रूप में अंकित कर किस्म रास्त अंकित कर दिया था, न ही मौके पर कोई रास्त उपलब्ध था, न ही रास्ते बाबत उक्त भूमि खातेदार चतरभुज को रास्ता कायम किये जाने के पूर्व कोई नोटिस दिया गया, फिर भी अकारण ही बिना किसी आधार के आराजी न. 481 में से 3 बिस्वा भूमि कर दिया। यह कि श्री चतरभुज एवं उसकी मृत्यु के पश्चात श्री उंकार के जीवनकाल में उक्त आराजी संख्या 481 भले ही राजस्व अभिलेखों में 1 बीघा 08 बिस्वा अंकित कर दी गई किन्तु मौके पर इनका कब्जा 1 बिघा 11 बिस्वा भूमि पर लगातार चलता रहा। यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्वत् 2051 से 2054 तक की जमाबन्दी में खाता संख्या 278 पर आराजी संख्या 481 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि उंकार पिता चतरभुज के नाम अंकित हैं। ततपश्चात उक्त भूमि विरासत हक त्याग से प्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम हुई।

3. यह कि वर्णितानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम 3 बिस्वा भूमि कम अंकित किये जाने से एवं सम्वत् 2011 के सेटलमेंट में 3 बिस्वा भूमि आराजी न. 482 एवं 486 के रूप में किस्म रास्ता दर्ज की जाकर नक्शा ट्रेस में असे रास्ता बता दिया जबकि मौके पर कोई रास्ता न तो था न है, न होने का कोई प्रश्न ही पैदा होता है। यह हाल ही में ग्राम बांसडा का नवीन सेटलमेंट हो गया हैं जिसमें साबिक सेटलमेंट सम्वत् 2011 के आराजी न. 481 के वर्तमान आराजी न. 333 रकबा 0.31 है. अंकित कर दिया गया है तथा इसी प्रकार साबिक आराजी न. 482 एवं 486 को वर्तमान आराजी न. 340 में मिलाते हुए आराजी न. 340 को किस्म रास्ता अंकित कर दिया गया है। इस कारण आराजी न. 340 में से 0.0324 है. अर्थात 3 बिस्वा भूमि कम की जाकर इसे वर्तमान आराजी न. 333 में मिलाया जाकर आराजी न. 333 का रकबा 0.3424 है. प्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम हिस्सा बराबर से घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाना आवश्यक हैं। यह कि [illegible] नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी में कर दिये जाने से वर्तमान आराजी संख्या 333 के [illegible] में स्थित आराजी संख्या 347 के खातेदार द्वारा गलत शिकायत कर [illegible] प्रार्थी [illegible] 1 से 4 के विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा गलत प्रकार से नाजायज कब्जा [illegible] यह दर्शाया गया कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा रास्ते की भूमि [illegible] गया है इस कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 से 4 को दिनाक 30.03.2021 को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। अतः निवेदन किया की वर्तमान आराजी संख्या 331, 332 333 के पूर्व दिशा में दर्शित आराजी संख्या 340 किस्म रास्ता के लिये प्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई भी बेदखली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:21:04 IST
Reason: SelfAttested

की कार्यवाही नहीं करे, न ही प्रार्थीगण को नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण को वैदखल करे, न ही प्रार्थीगण के कब्जो काश्त में कोई वाधा उत्पन्न करें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बन्द किया गया। हमने प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस की हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों विन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :–वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि वर्तमान आराजी न. 331, 332 के साबिक सेटलमेंट खसरा न. 480 रकवा 2 विघा 2 विस्वा व आराजी न. 333 के साबिक सेटलमेंट खसरा न. 481 रकवा 1 विघा 8 विस्वा थे। मेंवाड सेटलमेंट में उक्त आराजी न. 480 के पुराने न. 306 व आराजी न. 481 के पुराने आराजी न. 307 थे। ततसमय के आराजी न. 307 रकवा 1 विघा 11 विस्वा भूमि ततसमय चतरभुज वल्द लखमीचन्द व्यास मेनारिया ब्राह्मण देह के नाम अंकित थी। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त आराजी न. 307 के पूर्व दिशा में कोई रास्ता न तो मौके पर था न ही नक्शा ट्रेस में दर्ज था फिर भी विना किसी कारण के साबिक आराजी न. 307 के रकवे को 3 विस्वा घटाकर 1 विघा 8 विस्वा कर दिया तथा आराजी न. 307 का शेष रकवा 3 विस्वा में से 2 विस्वा आराजी न. 482 किस्म रास्ता एवं आराजी न. 486 किस्म रास्ता अंकित कर दिया। नवीन सेटलमेंट में उक्त साबिक आराजी न. 482 एवं 486 को वर्तमान आराजी न. 340 में मिलाते हुये आराजी न 340 किस्म रास्ता अंकित कर दिया। वर्तमान आराजी न. 340 रास्ता अंकित होने से विपक्षी द्वारा वेदखली के आदेश दिये जाने से विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में साबिक जमाबंदी मेंवाड वंदोवस्त से स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 307 रकवा 1 विघा 11 विस्वा चतरभुज वल्द लखमीचन्द व्यास मेनारिया ब्राह्मम्ण सा देह के नाम दर्ज थी। किस आदेश से उक्त भूमि का रकवा 3 विस्वा कम किया गया ? इस विन्दु को साक्ष्य के स्तर पर देखा जाना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया साबिक जमावंदी मेवाड बंदोबस्त से स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 307 का रकवा 1 विघा 11 विस्वा था। इस पर विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त 3 विस्वा भूमि पर मौके पर काविज होना वताया। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
2. **अपूरणीय क्षति** :–प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होने से अपूरणीय क्षति का विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
3. **सुविधा संतुलन** :–प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के विन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वर्तमान आराजी न. 331, 332 के साबिक सेटलमेंट खसरा न. 480 रकवा 2 विघा 2 विस्वा व आराजी न. 333 के साबिक सेटलमेंट खसरा न. 481 रकवा 1 विघा 8 विस्वा थे। मेंवाड सेटलमेंट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:21:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी न. 480 के पुराने न. 306 व आराजी न. 481 के पुराने आराजी न. 307 थे। ततरामय के आराजी न. 307 रकबा 1 विघा 11 बिस्वा भूमि ततरामय चतरभुज वल्द लखमीचन्द व्यास मेनारिया ब्राह्मण देह के नाम अंकित थी। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त आराजी न. 307 के पूर्व दिशा में कोई रास्ता न तो मौके पर था न ही नक्शा ट्रेस में दर्ज था फिर भी बिना किसी कारण के साविक आराजी न. 307 के रकबे को 3 बिस्वा घटाकर 1 बिघा 8 बिस्वा कर दिया तथा आराजी न. 307 का शेष रकबा 3 बिस्वा में से 2 बिस्वा आराजी न. 482 किस्म रास्ता एवं आराजी न. 486 किस्म रास्ता अंकित कर दिया। नवीन सेटलमेंट में उक्त साविक आराजी न. 482 एवं 486 को वर्तमान आराजी न. 340 में मिलाते हुये आराजी न 340 किस्म रास्ता अंकित कर दिया। वर्तमान आराजी न. 340 रास्ता अंकित होने से विपक्षी द्वारा बेदखली के आदेश दिये जाने से विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में साविक जमाबंदी मेवाड बंदोबस्त से स्पष्ट है कि साविक आराजी न. 307 रकबा 1 विघा 11 बिस्वा चतरभुज वल्द लखमीचन्द व्यास मेनारिया ब्राह्मण सा देह के नाम दर्ज थी। किस आदेश से उक्त भूमि का रकबा 3 बिस्वा कम किया गया ? इस बिन्दु को मुल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओ के आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में साविक जमाबंदी मेवाड बंदोवस्त से स्पष्ट है कि साविक आराजी न. 307 का रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा था। इस पर विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त 3 बिस्वा भूमि पर मौके पर काबिज होना बताया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासंडा भू–अभिलेख निरीक्षक बासंडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की वर्तमान आराजी न. 331, 332, 333 के पूर्व दिशा में दर्शित आराजी न. 340 किस्म रास्ते की भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:21:04 IST
Reason: SelfAttested